न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....छोटी देवी..... बनाम .....गोवर्धन आदि.....

किस्म मुकदमा .....विविध..... मु. नं० .....11..... वर्ष .....2022.....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
17.8.22	अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील अन्तिम को ईनाधिकार पर सुना गया। विपक्षीगण निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा धारा-151 CPC पर के आदेश पर पारित किया गया है। जिसके प्रावधानों के अनुसार धारा-151 CPC के पारित आदेशों की अपील पोषणीय नहीं है। अपितु ऐसे आदेशों के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के विद्वान का द्वारा होकर प्रस्तुत अपील का न्यायालय के ईनाधिकार की रद्द होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुनाया होकर नम्बर के कर दी। बाद तस्दीक नकलात होकर दाखिल दफ्तर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर